The following is the status of the rehabilitation schemes yet to be approved by the BIFR:

(i) *Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL)*

HAL was declared a sick company on 31.3.1997 and its rehabilitation scheme is yet to be finalized by the BIFR.

(ii) *Uttar Pradesh Drugs & Pharmaceuticals Ltd. (UPDL)*

UPDPL is a joint sector undertaking promoted by IDPL in collaboration with Pradeshiya Industrial Investment Corporation of U.P. (PICUP), a UP State Gvoernment Undertaking. The rehabilitation scheme for UPDPL, sanctioned by the BIFR on 22.8.95, was challenged before the AAIFR by its bankers. AAIFR set aside the sanctioned scheme, which is now under review with the BIFR.

(iii) *Orissa Drujs & Chemicals Ltd*

ODCL is a joint sector undertaking promoted by IDPL in collaboration with Industrial Promotion and Investment Corporation of Orissa Ltd. (IPICOL) an Orissa State Government undertaking! The rehabilitation scheme sanctioned on 18.894 was declared as failed by the BIFR in March 1997. As the Operating Agency, IDBI has been asked by the BIFR to prepare a revised scheme.

(iv) *Maharashtra Antibiotics & pharmaceuticals Ltd. (MAPL)*

MAPL is a joint sector undertaking promoted by Hindustan antibiotics Ltd. in collaboration with State Industrial Investment Corporation of Maharashtra (SIICOM), a Maharashtra State Government Undertaking. The rehabilitation scheme for MAPL, which was declared a sick company on 14.1.1997, is yet to be finalized by the BIFR.

(v) *Hindustan Fertilizer Corporation Ltd, (HFC)*

(vi) *Fertilizer Corporation of India Ltd. (FC1)*

The revival package in respect of Namrup units of HFC has been approved by the Government on 1.10.97. The eventual decision in respect of the remaining functional units of HFC and FCI would, inter-alia take into account the considerations of unitwisc viability and tie-up. of the funding arrangements. The rehabilitation schemes will, thereafter, be submitted for the approval of the BIFR.

भोपाल गैस पीड़ितों को दी जाने वाली राहत

1122. **श्री नागमणि**:
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायलय ने भोपाल गैस पीड़ितों को दी जाने वाली राहत के मामले पर सरकार को फटकार लगाई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

सरकार की सहायता से चलाई जा रही उर्वरक इकाइयां

1123. **श्री अजीत जोगी**:
श्री वी.हनुमंत राव:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ उर्वरक कारखाने सरकार की सहायता से चलाए जा रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है,

(ग) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रुग्ण उर्वरक कारखानों की संख्या कितनी है,

(घ) क्या सरकार ने इन राज्यों में रुग्ण उर्वरक कारखानों को अर्थक्षम बनाने के लिए प्रयास किए हैं,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) और (ख) सरकार ने उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित उर्वरक उपक्रमों की चालू वर्ष के दौरान योजना और गैर-योजना

वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वजटीय प्रावधान किया है,

1. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी) की बिहार, पश्चिम बंगाल तथा समय राज्यों में स्थित इकाईयां।

2. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आप इंडिया लि. (एफसीआई) की बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों में स्थित इकाईयां।

3. उड़ीसा राज्य में पारादीप फास्फेट्स लि. (पीपीएल)।

4. प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि. (पीडीआईएल) की बिहार, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात राज्यों में स्थित प्रभाग/इकाईयां।

5. पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि. (पीपीसीएल) के बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान राज्य में स्थित इसके संयंत्र/प्रभाग।

(घ) से (च) रुग्ण इककों के पुनरुद्वार पैकेजों को अनुमोदन करने का उत्तरादायित्व औद्योगिक एंव वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को दिया या है। उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नीजि उर्वरक क्षेत्र की निम्नलिखित 7 कंपनियों को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 के अंतर्गत रुग्ण कंपनियों के रूप में दर्ज किया गया था:

(1) गंगा फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.

(2) रांमगंगा फर्टिलाइजर्स लि.

(3) श्रीनिवास फर्टिलाइजर्स लि.

(4) मित्तल फर्टिलाइजर्स लि.

(5) श्री दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर्स लि.

(6) त्रिमृति फर्टिलाइजर्स लि.

(7) महादेव फर्टिलाइजर्स लि.

गंगा फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. , राम गंगा फर्टिलाइजर्स लि. तथा श्री निवास फर्टिलाइजर्स लि. को क्रमश: 17-12-96 7-9-94 और 2-1-96 को बीआईएफआर द्वारा मंजूरी दी गई थी। बीआईएफआर ने मित्तल फर्टिलाइजर्स लि. और श्री दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर्श लि. को क्रमश: 15-4-96 और 26-7-96 को बंद किए जाने की सिफारिश की गई थी। त्रिमुर्ति फर्टिलाइजर्स लि. को बंद करने की सूचना 16-4-96 को जारी की गई है। मैसर्स महादेव फर्टिलाइजर्स लि. की बीआईएफआर जांच पड़ताल कर रही है।

मध्य प्रदेश राज्य में स्थित कोई रुग्ण उर्वरक कंपनी बीआईएफआर में दर्ज नहीं की गई है।

जहां तक उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणधीन रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् एचएफसी.एफसीआई तथा पीडीआईएल का संबंध है, इनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनके संपंन्नों में आवश्यक प्रतिस्थापन/नवीकरण करने हेतु कंपनियों को सक्षम बनाने के लिए सरकार बजटीय सहायता प्रदान कर रही है।

औवधियों की कीमतों में वृद्धि

1124. **श्री अजीत जोगी:**
श्री वी. हनुर्मत राव:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान औषधियों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) सरकार द्वारा देश में औषधियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, और

(घ) क्या सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप जीवन-रक्षक औषधियों की कीमतों में कमी आने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) से (घ) यह सच नहीं है कि पिछले वर्ष के दौरान चवाइयों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कोई अपसामान्य वृद्धि नहीं पाई गई है। अन्य वस्तुओं की तरह दवाइयों की कीमतों में वृद्धि अपरिहार्य होती है क्योंकि पैकेजिंग कच्चा माल आदि अत्तव्रातुओं की कीमतें बढ़ने आदि के कारण दवाइयों की कीमतों में कुछ वृद्धि होना आवश्यभावी है। 1996-97 में औषधों तथा दवाइयों के थोक मूल्य सूचकांक (1981-82=100) में 2.93 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि अन्य सभी वस्तुओं के लिए यह वृद्धि 6.36 प्रतिशत की हुई थी।

दवाइयों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे हैं:- औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति, अनुसंधान एंव विकास पर जोर, मूलावस्था से उत्पादन के लिए प्रोत्साहन, कीमत निर्धारण तंत्र का सरलीकरण आदि। उन्मुक्त आयात, शुल्क की दरों में कमी, लाइसेंस समाप्त करने और कीमत नियंत्रण पद्धति को सरल करने से यह आशा की जाती है कि